राजस्थान विधान सभा सचिवालय

(प्रतिवेदन शाखा)

बुलेटिन भाग – 2

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या: 13 दिनांक: 22.02.2016

राजस्थान विधान सभा की बैठकों की कार्यवाही के समय कतिपय अवसर यथा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, आय-व्ययक, अनुदान की मांग, इत्यादि पर बहस के अवसरों पर उपलब्ध सीमित समय के मद्देनजर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों की सुविधार्थ उनके लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखे जाने की पहल की गई है, जिन्हें सम्पादित कार्यवाही वृतान्तों में भी सम्मिलित किया जाता है।

इस क्रम में अनुभूत परिस्थितियों के प्रकाश में निदेशानुसार माननीय सदस्यों से निम्नानुसार अनुरोध है:-

1. लिखित वक्तव्य संक्षिप्त, सारगर्भित व विषय से सम्बन्धित बिन्दुओं पर केंद्रित होते हुए भाषण के रूप में तारतम्य युक्त हों;
2. लिखित वक्तव्य अधिकतम 1,000 शब्द व 2-3 पृष्ठ की सीमा में हों; एवं
3. लिखित वक्तव्य, जहां तक संभव हो, टंकित हों अथवा पठन-योग्य हस्तलिपि में हों।

उपरोक्तानुसार लिखित वक्तव्य न होने पर विधान सभा सचिवालय द्वारा निश्चित समयावधि में इन्हें संशोधित कर पुन: प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जायेगा तथा प्राप्त संशोधित वक्तव्य ही कार्यवाही वृतान्तों में शामिल किये जा सकेंगे।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर।